

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Monday, 11 June 2018 / 21 Jyeshtha 1940 (Saka)

No. 85

02.11 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.12 PM

Ruling by the Chair :

The Chair directed that as decided by him earlier, no business other than the Questions and Resolution under Rule-90 on "*Full Statehood to Delhi*" would be taken up for the day and as such he was not allowing, any other notices.

The Members of Bhartiya Janta Party were not satisfied with the ruling of the Chair and demanded that the notice given by them under Rule-54 & Rule-59 be considered.

(2.17 PM As the Chair refused to reconsider his directions, the Members of BJP walked out in protest).

2. 2.18 PM

Question Hour: Starred Question No. 14 (Revenue Department) was asked.

Minister of Revenue informed that satisfactory reply of the aforesaid Question was not submitted by the Department despite repeated written directions issued by him to the concerned officers.

Starred Question No. 16 (Revenue Department) was asked.

Minister of Revenue informed that satisfactory reply of the aforesaid Question was not submitted by the Department despite repeated written directions issued by him to the concerned officers.

Starred Question No. 19 (Education Department) was asked.

Hon'ble Deputy Chief Minister stated that reply to Part-A of the aforesaid question had already been replied but the remaining parts had not yet been replied despite repeated directions issued to the officers concerned. Moreover, the officers were not present in the '*Officers Gallery*'.

Starred Question No. 44 (Services Department) & 54 (Land & Building Department) were asked.

Hon'ble Deputy Chief Minister informed that satisfactory reply of the aforesaid Question was not submitted by the Department despite repeated written directions issued by him to the concerned officers.

Reply to Unstarred Question No. 120 (Services Department) was also not received.

The Chair referred the aforesaid questions to the Privileges Committee and also directed that all the other questions which had not been replied by the various departments, stand referred to the Privileges Committee.

He also directed that the Committee should submit its report before the commencement of next session or one month, whichever is earlier.

3. 2.40 PM

Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued :

Discussion on the following Government Resolution moved by **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** on 06 June 2018 continued :

'Keeping in view the aspirations of the people of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the economy;

Also keeping in view the fact that the multiplicity of agencies have created obstacles in the all round development and progress of Delhi as a world class city;

Observing with concern that vested interests with no accountability have manipulated and corrupted the existing system of governance which was guaranteed by the Constitution for the people of Delhi;

Also noting that all the major political parties have supported the idea of full statehood to Delhi in their respective manifestoes;

This House resolves that the National Capital Territory of Delhi should be granted full statehood immediately."

The following Members participated in the discussion :

12. Shri Rajender Pal Gautam, Minister of Social Welfare

(2.41 PM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and other Members of BJP came back in the House.

They stood up and requested that the notice of Adjournment Motion given by Shri Manjinder Singh Sirsa be considered.

The Chair stated that he had already given his ruling.

Members of BJP came in the well and started exchanging arguments with the Chair.

Some Members of Ruling Party also came in the well of the House.

Uproar in the House.

The Chair requested the Members to take their seats but the Members of BJP did not leave the well of the House.

The Chair named Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and later Shri Manjinder Singh Sirsa and asked them to withdraw from the House.

As the Members refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort them out.

Shri Jagdish Pradhan walked out in protest).

4. 2.54 PM **Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued :**

Shri Rajender Pal Gautam, Minister of Social Welfare continued his speech.

13. Ms. Bhavna Gaur

14. Shri Pankaj Pushkar

15. Shri Sukhbir Singh Dalal

16. Shri Rajesh Gupta

17. Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Health

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

5. 4.44 PM **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** moved that the following amended Resolution be adopted :

"The Legislative Assembly of National Capital Territory in its sitting held on Friday, 8th June 2018 resolves that:

Keeping in view the decades-old aspirations of the residents of National Capital Territory of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the country's economy, which have been strongly and unambiguously reflected in the views expressed by Hon'ble members of this August House, the Ministry of Home Affairs, Government of India, must take all necessary legal and legislative steps to declare NCT of Delhi a full-fledged state without any further delay.

This House notes with extreme disappointment that successive Central Governments have without any valid justification attempted to undermine the basic rights of the people of Delhi by denying them statehood.

People of Delhi can no longer be kept at the mercy of a Central Government appointed Lieutenant Governor, who has no accountability towards the public and enjoys absolute power without any responsibility.

Elected representatives are directly accountable to the voters and are rightly questioned by the people on issues affecting their daily lives and developmental issues. It is, therefore, beyond any legal and reasonable understanding that how can a politically nominated LG be the super-boss of a democratically elected council of ministers which is collectively responsible to the Legislative Assembly?

Ever since 1952 and then later in 1993, when the Legislative Assembly was set-up in its present form for NCT of Delhi, every single elected Delhi Government has strongly demanded statehood in order to be able to fulfil the aspirations of the people.

In 2003, the then Hon'ble Deputy Prime Minister and Home Minister Mr LK Advani had on 18th August 2003 presented the Constitution Amendment Bill and the Bill for statehood of Delhi in the Lok Sabha.

The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, headed by the then chairman Mr Pranab Mukherjee in its 106th report tabled in Parliament in December 2003 had strongly endorsed the bill. Unfortunately, however, due to dissolution of the Lok Sabha a few months later, the bill lapsed.

Strangely, no attempt was made to revive the bill after that despite the same party having been in power at the Centre and in Delhi for 10 years since 2004.

This House is of the view that now since almost 16 years have passed since the previous Delhi statehood bill was presented in Parliament and there were some shortcomings in that bill, therefore the MHA must consult the elected Government to be on the same page about the fresh draft bill.

This House resolves that the NDMC area in Delhi, which is governed by the NDMC Act be kept under the exclusive control of the Central Government, and the rest of NCT of Delhi be declared a full-fledged state through a Constitutional Amendment Bill.

Earlier in 1990 also a Constitution Amendment bill for statehood of Delhi was planned but unfortunately that attempt also could not materialise.

Therefore, the people of Delhi will not tolerate any further unjustified delay in granting them their rights, which have been denied for decades despite promises having been made by all political parties repeatedly in their election campaigns.

This House strongly demands that the MHA must place the feelings of the people of Delhi before both Houses of Parliament in the form of a Constitution Amendment Bill to grant full statehood for Delhi.”

The amended Resolution was put to vote and adopted.

6. 4.46 PM **The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and other agencies for their co-operation in smooth conduct of the Session.**
7. 4.47 PM **National Anthem – Jan-Gan-Man**
The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi
11 June, 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार, 11 जून, 2018/21 ज्येष्ठ, 1940 (शक)

संख्या-85

2.11 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.12 बजे

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि जैसा कि वे पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि प्रश्नों तथा "दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने" से संबंधित नियम-90 के अंतर्गत संकल्प के अतिरिक्त आज किसी अन्य कार्य को नहीं लिया जायेगा, इसलिए वे किसी अन्य नोटिस को स्वीकार नहीं करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उनके द्वारा नियम-54 एवं नियम-59 के तहत दिए गए अपने नोटिस पर विचार करने की मांग की।

(2.17 बजे : चूंकि अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)

2. 2.18 बजे

प्रश्न काल:

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (राजस्व विभाग) पूछा गया।

राजस्व मंत्री ने सूचित किया कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को लगातार लिखित निर्देश दिये जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपरोक्त प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (राजस्व विभाग) पूछा गया।

राजस्व मंत्री ने सूचित किया कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को लगातार लिखित निर्देश दिये जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपरोक्त प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (शिक्षा विभाग) पूछा गया।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उपरोक्त प्रश्न के भाग-क का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है लेकिन शेष भागों के उत्तर संबंधित अधिकारियों को लगातार निर्देश दिये जाने के बावजूद नहीं दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी भी अधिकारी दीर्घा में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 44 (सेवा विभाग) एवं 54 (भूमि एवं भवन विभाग) पूछे गये।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को लगातार लिखित निर्देश दिये जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपरोक्त प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

अतारांकित प्रश्न संख्या 120 (सेवा विभाग) का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया और यह भी निर्देश दिया कि जिन अन्य प्रश्नों के उत्तर विभिन्न विभागों द्वारा नहीं दिये गये हैं, वे भी विशेषाधिकार समिति को सौंपे जायें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि समिति अगला सत्र प्रारम्भ होने से पहले या एक महीना, जो भी पहले हो, उससे पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

3. 2.40 बजे

सरकारी संकल्प (नियम-90) पर चर्चा जारी :

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 06 जून, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर आगे चर्चा हुई:

"बेहतर जीवन-गुणवत्ता के लिए दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के दृष्टिगत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के अनुरूप;

इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि निकायों की बहुलता ने विश्व-स्तरीय शहर के रूप में दिल्ली के चहुँमुखी विकास तथा प्रगति में बाधा पहुँचाई है;

यह चिंताजनक रूप से अवलोकन करते हुए कि उत्तरदायित्व-विहीन निहित स्वार्थों ने शासन की उस विद्यमान व्यवस्था को छल-योजित और विकृत किया है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए संविधान द्वारा संरक्षित किया गया था;

यह भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया है;

यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

12. श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री

(2.41 बजे : श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य सदन में वापिस आये।

वे अपने आसन पर खड़े हो गये तथा श्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दिये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर विचार करने की मांग करने लगे।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था दे दी है।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वैल में आ गये तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करने लगे।

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी सदन के वैल में आ गये।

सदन में शोर-शराबा।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वैल से नहीं गये।

अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष और तत्पश्चात् श्री मनजिंदर सिंह सिरसा को सदन से बाहर जाने के लिए कहा।

चूंकि सदस्यों ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों से उन्हें बाहर ले जाने को कहा।

श्री जगदीश प्रधान ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)

4. 2.54 बजे **सरकारी संकल्प (नियम-90) पर चर्चा जारी :**

श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने अपना भाषण प्रारम्भ किया।

13. सुश्री भावना गौड़

14. श्री पंकज पुष्कर

15. श्री सुखबीर सिंह दलाल

16. श्री राजेश गुप्ता

17. श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. 4.44 बजे **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री** ने प्रस्ताव किया कि निम्नलिखित संशोधित संकल्प को पारित किया जाये :

“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा शुक्रवार, 11 जून, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि:

बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए तथा देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के समानुपातिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासियों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं के दृष्टिगत, जो इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में दृढ़तापूर्वक तथा स्पष्टतापूर्वक प्रतिबिंबित हुई हैं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को बिना किसी विलम्ब के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित करने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक तथा विधायी कदम उठाने चाहिए;

यह सदन अत्यधिक निराशापूर्वक गौर करता है कि एक के बाद एक केन्द्र सरकारों ने बिना किसी वैध औचित्य के, पूर्ण राज्य से मना करके दिल्ली के लोगों के मूलभूत अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया है,

दिल्ली के लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल की दया पर आश्रित नहीं रखा जा सकता, जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है और वे बिना किसी उत्तरदायित्व के पूर्ण शक्ति का आनन्द लेते हैं,

निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं और दैनिक जीवन तथा विकास सम्बन्धी मामलों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जनता द्वारा वस्तुतः उनसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अतः यह किसी वैधानिक तथा तार्किक समझ से परे है कि किस प्रकार, राजनीतिक रूप से मनोनीत उप राज्यपाल, लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित उस मंत्री परिषद का सुपर बॉस हो सकता है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ?

वर्ष 1952 से तथा बाद में वर्ष 1993 में जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा अपने इस वर्तमान स्वरूप में गठित की गई, प्रत्येक निर्वाचित दिल्ली सरकार में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में

सक्षम होने के लिए जोरदार ढंग से राज्य का दर्जा देने की मांग की,

वर्ष 2003 में तत्कालीन माननीय उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री श्री एल.के.आडवाणी ने 18 अगस्त 2003 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक तथा दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया,

गृह मंत्रालय से सम्बन्धित संसद की स्थायी समिति ने तत्कालीन सभापति श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में दिसम्बर 2003 में संसद में प्रस्तुत अपनी 106वीं रिपोर्ट में दृढ़तापूर्वक विधेयक का समर्थन किया। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ महीनों बाद लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक समाप्त हो गया,

आश्चर्यजनक रूप से इसके बाद विधेयक को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया जबकि एक ही पार्टी वर्ष 2004 से 10 वर्ष तक केन्द्र तथा दिल्ली में सत्ता में रही,

इस सदन का यह विचार है कि चूंकि पिछला दिल्ली पूर्ण राज्य विधेयक प्रस्तुत किये हुये अब लगभग 16 वर्ष का समय बीत चुका है और उस विधेयक में कुछ कमियां थीं, अतः गृह मंत्रालय को नये प्रारूप विधेयक के संबंध में निर्वाचित सरकार से परामर्श करना चाहिए,

यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का क्षेत्र जो एन.डी.एम.सी अधिनियम के तहत शासित होता है, उसे केवल केन्द्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाये तथा शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से पूर्ण राज्य घोषित किया जाये,

इससे पहले वर्ष 1990 में भी दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक की योजना बनाई गई थी परंतु दुर्भाग्यवश वह प्रयास भी क्रियान्वित नहीं हो सका,

अतः दिल्ली की जनता अपने अधिकारों को प्राप्त करने में और अधिक अनुचित विलम्ब सहन नहीं करेगी, जिन्हें अपने चुनाव अभियानों में सभी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किये गये वायदों के बावजूद दशकों से वंचित किया गया है,

यह सदन दृढ़तापूर्वक मांग करता है कि गृह मंत्रालय दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिल्ली की जनता की भावनाओं को प्रस्तुत करे। संशोधित संकल्प को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकार हुआ।

6. 4.46 बजे अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

7. 4.47 बजे

राष्ट्र गान : जन-गण-मन।

सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली
11 जून, 2018

सी. वेलमुरुगन
सचिव